

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)
क्रमांक 7 अ-82/17-18 / भू-अर्जन/2943 बैतूल दिनांक 23-03-2018
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।

विषय:- ग्राम रौघा तहसील बैतूल के भू-अर्जन प्रकरण में सामाजिक
समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत रौघा जलाशय हेतु अर्जन की जाने वाली
भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है ।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया
जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्टकरें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
बैतूल दिनांक 23-03-2018

पृ0क0 07 अ-82/2017-18/2943
प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) बैतूल को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल को अग्रेषित सामाजिक
समाघात रिपोर्ट का ग्राम स्तर, तथा कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस
कार्यालय को सूचित करे।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने
हेतु
- 5- तहसीलदार बैतूल को प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


कलेक्टर एवं 23/2

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल



प्ररूप- ख
(नियम 5 देखिए)


सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट


- | | |
|---|---|
| 1- परियोजना का नाम | - नागझिरी जलाशय |
| 2- लोक प्रयोजन | - सिंचाई हेतु |
| 3- स्थल | - रौंधा |
| 4- परियोजना का क्षेत्र | - रौंधा |
| 5- विकल्प जिन पर विचार किया गया | - यह भूमि जलाशय के लिये अतिउपयुक्त एवं उचित शासकीय व्यय आने एवं इस जल क्षेत्र का अधिक से अधिक लोगों को फायदा हेतु इस जगह का चयन किया गया। |
| 6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता | - कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.2 बैतूल |
| 7- परियोजना निर्माण के चरण | - प्रथम एवं अंतिम |
| 8- परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे | - प्रकरण में संलग्न है। |
| 9- परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि | - 66.276 हे. |
| 10-भूमि का मूल्य | - 3,93,63,764/- |
| 11-प्रभावित परिवारों की संख्या | - 64 |
| 12-परिसम्पत्तियां:- | |
| लोक सम्पत्ति भूमि 7.624 हे. भवन निरंक अन्य | |
| निजी सम्पत्ति भूमि 66.276 हे. भवन निरंक अन्य | |
| 13-विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या | - निरंक |
| जिनकी भूमि अर्जित हुई | |
| ग्राम निरंक परिवारों की संख्या निरंक | |
| 14-सामाजिक समाघात | |
| (क) समाघातों का विवरण | - निष्कर्ष में उल्लेखित है। |
| (ख) समाघातों की संकेतक सूची | - निरंक |
| 15-विकल्प जिन पर विचार किया गया | |
| (क) यदि हां- तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? - लोक प्रयोजन हेतु | |
| (ख) यदि नहीं- तो क्यों ? | - निरंक |


निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पत्तियां प्रभावित हो रही हैं उनका विधि अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक हैं। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।


(सदस्य)
अधिवक्ता


(सदस्य)
उपवन मंडलाधिकारी
डा. पी. डब्ल्यू. डी. बैतूल


(सदस्य)
अनुविभागीय अधिकारी
पी. डब्ल्यू. डी. बैतूल


(अध्यक्ष)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्थ) बैतूल

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)
क्रमांक 7 अ-82/17-18 / भू-अर्जन/2943 बैतूल दिनांक 23-03-2018
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।


विषय:- ग्राम रौधा तहसील बैतूल के भू-अर्जन प्रकरण में सामाजिक
समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत रौधा जलाशय हेतु अर्जन की जाने वाली
भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है ।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया
जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्टकरें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(शशाकि मिश्र)
कलेक्टर एवं


भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
बैतूल दिनांक 23-03-2018

पृ0क0 07 अ-82/2017-18/2943
प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) बैतूल को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल को अग्रेषित सामाजिक
समाघात रिपोर्ट का ग्राम स्तर, तथा कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस
कार्यालय को सूचित करे।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने
हेतु
- 5- तहसीलदार बैतूल को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार




कलेक्टर एवं 23/3
भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

प्ररूप- ख
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- 1- परियोजना का नाम
- 2- लोक प्रयोजन
- 3- स्थल
- 4- परियोजना का क्षेत्र
- 5- विकल्प जिन पर विचार किया गया

- नागझिरी जलाशय
- सिंचाई हेतु
- रौंधा
- रौंधा
- यह भूमि जलाशय के लिये अतिउपयुक्त एवं उचित शासकीय व्यय आने एवं इस जल क्षेत्र का अधिक से अधिक लोगों को फायदा हेतु इस जगह का चयन किया गया।
- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.2 बैतूल
- प्रथम एवं अंतिम
- प्रकरण में संलग्न है।
- 66.276 हे.
- 3,93,63,764/-
- 64

6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता

- 7- परियोजना निर्माण के चरण
- 8- परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
- 9- परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि
- 10-भूमि का मूल्य
- 11-प्रभावित परिवारों की संख्या
- 12-परिसम्पत्तियां:-

लोक सम्पत्ति भूमि 7.624 हे. भवन निरंक अन्य
निजी सम्पत्ति भूमि 66.276 हे. भवन निरंक अन्य

13-विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या
जिनकी भूमि अर्जित हुई
ग्राम निरंक परिवारों की संख्या निरंक

- निष्कर्ष में उल्लेखित है।
- निरंक

14-सामाजिक समाघात

(क) समाघातों का विवरण

(ख) समाघातों की संकेतक सूची

15-विकल्प जिन पर विचार किया गया

(क) यदि हां- तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? - लोक प्रयोजन हेतु
(ख) यदि नहीं- तो क्यों ? - निरंक

निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पत्तियां प्रभावित हो रही हैं उनका विधि अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।

(सदस्य)
अधिवक्ता

(सदस्य)
उपवन मंडलाधिकारी
आ.म.पू.बैतूल

(सदस्य)
अनुविभागीय अधिकारी
पी.डब्ल्यू.डी.बैतूल

(अध्यक्ष)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्य) बैतूल